



भारतीय राजनीति में महिलाओं की सहभागिता

Sunita Phulwaria

Assistant Professor (History)

B.N.D. Government art's College Chimanpura Jaipur

सरांश

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भारत में महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष उपरान्त भी महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पुरूषों की तुलना में बहुत कम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए गए और कई योजनाएं बनाई गईं, परन्तु कल्याणकारी योजनाओं का वांछित प्रभाव भारतीय महिलाओं पर समान रूप से नहीं पड़ा। तथा उन सबका लाभ महिलाओं तक नहीं पहुँच पाया। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की सामान्य स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ। इसके अलावा महिलाएं हिंसा और अत्याचारों का सिकार भी बनती रही है।

मुख्य शब्द: भारतीय राजनीति, महिलाओं की सहभागिता

प्रस्तावना

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका का अर्थ है। कि निर्वाचन में मतदाता एवं प्रत्याशी के रूप में सहभागिता से लेकर सत्ता में महिलाओं की भागीदारी से है। मताधिकार की प्रक्रिया से निर्णय-निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। जो कि यही राजनीतिक सहभागिता है। किन्तु वर्तमान में लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के कारण राजनीतिक सहभागिता मान मतदान एवं राजनीतिक सक्रियता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक सत्ता में भागीदारी से भी जुड़ गयी है। सत्ता में भागीदारी होने का अर्थ है कि शक्ति प्राप्त करना और वैध शक्ति (सत्ता) ही वह प्रमुख प्रक्रिया है जो समाज की अन्य उपव्यस्थाओं एवं संरचनाओं को निर्देशित संचालित एवं प्रभावित करती है। इसलिए राजनीति में महिलाओं की भूमिका एक महत्वपूर्ण मांग बन गई है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसकी अपनी सभ्यता व संस्कृति है, जिस पर वह गर्व करता है। भारत एक विशाल व विकासशील देश है। इसकी कला, साहित्य दर्शन इसको मानव के अध्यात्म जीवन से जोड़ते हैं। जिसमें महिलाओं की अहम भूमिका होती है। महिलाओं के बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पुरुष प्रधान समाज कभी स्वीकार नहीं कर पाया कि महिलाओं को उसका हक मिले, जिसने उसके जीवन में अतुलनीय योगदान दिया है। वैदिक काल में शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग की बालिकाओं व राजकुमारियों को ही दी जाती थी जो अपवाद स्वरूप है। बौद्ध काल में भी महिलाओं की दशा में विशेष सुधार नहीं हुआ। मध्यकाल में भारत पर मुस्लिम सुल्तानों ने शासन किया, उस समय शिक्षा को ही एक सामाजिक कर्तव्य नहीं माना गया था महिला शिक्षा तो दूर की बात थी। ब्रिटिश काल में शिक्षा को अवश्य बढ़ावा मिला, लेकिन नगर्य रही पुरुष प्रभुता समाज में महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण विकसित हुआ, उसके अन्तर्गत काम चलाने लायक अल्प शिक्षा व घर ग्रहस्थी की देखभाल तक उसकी सीमाएं निर्धारित की गई थीं।

यह (आज) प्रजांतंत्रीय शासन प्रणाली महिला एवं पुरुष दोनों को उन्नति तथा उत्थान के समान अवसर प्रदान करती है। प्रजातंत्र की भावना के अनुरूप सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं के विकास तथा कल्याण के लिए आवश्यक समानता स्वतंत्रता एवं निर्णयकारी संस्थाओं में भागीदारी हेतु अनेक राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। आप विकसीत एवं विकासशील सभी देशों में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार करने तथा उनकी स्थिति को सट्ट बनाने के प्रयास हर स्थान और स्तर पर किये जा रहे हैं। परिणामस्वरूप आप सभी स्थान एवं क्षेत्रों में महिलाओं के समुचित विकास के लिए अनुकूल वातावरण विकसित हो रहा है। महिलाओं को प्रशासन एवं राजनीति में समानाधिकार प्रदान करने में अग्रणी प्रयास करने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, डेनमार्क, नार्वे, फिनलैंड, जैसे देशों में साथ ही आज रूस जैसे साम्यवादी देश ईरान जैसे कटृपेयी राष्ट्र तथा अनेक अल्प विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में महिलाओं को राजनीतिक दृष्टि से शक्ति सम्पन्न बनाया जा रहा है। तथा महिलाएं अपनी प्रभावशाली भूमिका से वैश्विक राजनीति में अपनी अहम उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हो रही हैं।

भारत में महिलाओं की (प्रस्थिति) स्थिति:- अनेक ऐतिहासिक एवं स्वतंत्र भारत की महिलाएं आज समाज और राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलते हुए एक नवीन भारत की परिकल्पना को साकार करने में संलग्न हैं। आज जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। जहाँ महिलाएं उत्कृष्ट भूमिका नहीं निभा रही हैं। एक और जहाँ शहरी महिलाएं, स्कूलों, कालेजों, दफ्तरों कारखानों आदि में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कारखानों देश के विकास में संलग्न हैं। वही दूसरी ओर ग्रामीण महिलाएं खेतों, खलिहानों तथा अन्य विविध क्षेत्रों में रात-दिन काम करके देश के आर्थिक विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं इन सबसे बावजूद समाज में नारी की स्थिति दोयम दर्जे की समझी जाती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और अधिक अपेक्षित हैं।

थक्सी भी देश के विकास में महिलाओं की भूमिका को ज्ञात करने हेतु यह जानना आवश्यक है कि वहा के समाज में महिलाओं की क्या स्थिति रही? समाज महिलाओं को कौन-कौन से अधिकार प्रदान करता है जिससे समाज को गति मिले। इस गहन तथ्य का ज्ञान उस देश के इतिहास में छिपा होता है। अतः हमें सर्वप्रथम यह समझने (जानने) का प्रयास करना होगा कि हमारे देश के ऐतिहासिक पृष्ठों पर महिलाओं का कैसा चित्र अकित है।

वैदिक काल में महिलाओं की प्रस्थिति (स्थिति)

वैदिक समाज भारतीय इतिहास का सर्वाधिक आदर्श समाज रहा है। वस्तुतः वेद भारतीय संस्कृति के प्राण है। इस युग में महिलाओं ने अपने समस्त अधिकारों का पूर्णता के साथ उपयोग किया था।

वैदिक युग में नारी को पुरुषों के समकक्ष अधिकार प्राप्त था। अर्थवेद में कहा गया है कि “नववधु तु जिस घर में जा रही है वहाँ की तु साम्राज्ञी है तेरे ससुर, सास देवर और व्यक्ति तुझे साम्राज्ञी समझते हुए तेरे शासन में आनन्दित रहे।” नारी को शिक्षा, धर्म, राजनीति और सम्पत्ति में पुरुष के समान अधिकार थे। ऐसा लगता है कि वैदिक काल में नारी कुछ हद तक समाज के आर्थिक विकास में योगदान देती थी।

इस काल में महिलाओं की स्थिति अन्य कालों के अपेक्षा सम्मानजनक थी। इस युग में पति की पूर्णता पति के अस्तित्व में ही निहित मानी जाती थी पति रूप में महिला निश्चय ही पति की अध्दांगिनी होती थी। तथापि वेद युग में पति को मित्र का रूप प्राप्त था।

उद्देश्य

1. भारतीय राजनीति में महिलाओं की सहभागिता का अध्ययन करना
2. महिलाओं की सहभागिता का अध्ययन करना

उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की प्रस्थिति (स्थिति)

उत्तर वैदिक काल को सामान्यतः ईसा से 600वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के 300वर्ष बाद तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में स्त्री पुरुष के समान अधिकार रखती थी। भीष्म पितामह का यह कथन है कि स्त्री को सदैव पूज्य मानकर स्नेह का व्यवहार करना चाहिए।

सोलहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी का युग मध्य युग के रूप में जाना जाता है।

इसका आरंभ ही मातृसत्ता की समाप्ति और नारी की पराधीनता के आधारभूत विधान से होता है। जिसमें नारी को वर्ण व्यवस्था के निम्नतक वर्ण शुद्र के साथ ही पाप योनि वाले वर्ण में रखा गया है। इस काल में महिलाओं की स्थिति में जितना हास हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है।

इस काल कि आते-आते नारी बाल्यकाल में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्रों के संरक्षण में रहने की आदि बन चुकी थी। उसे अधिकारों से वंचित कर दिया गया और वह परिवार की एक आवश्यकता मात्र बनकर रह गई थी। हालाकि बौद्ध धर्म के उदय से उसकी स्थिति में सुधार हुआ भी, परन्तु मुगल काल में नारी की दशा और भी दण्डनीय हो गई। पर्दा प्रथा ने नारी के घर की चार दीवारी की कैद में रहने के लिए मजबूद कर दिया। समाज में बाल-विवाह का प्रचलन बढ़ गया तथा शिक्षा के द्वारा उसके लिए लगभग बंद कर दिये गये। सती प्रथा अपने शिखर पर पहुंच गई और उसकी आवाज चिंता के चारों ओर बजते ढोल नगाड़ों में दब कर रह गई।

वस्तुतः मध्यकाल में स्त्रियों की स्वतन्त्रता सब प्रकार से छीन ली गई तथा उन्हें जन्म से मृत्यु तक पुरुषों के अधीन कर दिया गया था।

सन् 1940 तक स्त्रियों की एकान्तता तथा उनके निम्न स्तर के लिए हिन्दू धर्म, जाति, व्यवस्था, संयुक्त परिवार, इस्लामी शासन तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद उत्तरदायी है। वस्तुतः इस काल में स्त्रियों की विभिन्न क्षेत्रों में निर्योग्यताएं बनी रही। भारतीयों द्वारा समय-समय पर समाज सुधार के विशेष प्रयास किये गये, किन्तु अंग्रेजों का समाज सुधार में सहयोग नहीं मिला। महिलाओं को शोषित तथा पीड़ित रखना ही उनके हित में था। अतः इस समग्र (सम्पूर्ण) पृष्ठभूमि में भारत की महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता समझी गई।

किसी भी स्वस्थ एवं विकसित समाज के निर्माण एवं विकास में महिला एवं पुरुष दोनों की परस्पर सहभागिता एवं साझेदारी अत्यन्त आवश्यक है। यह बात नैसर्गिक सिद्धान्त और पर्यावरणीय सन्तुलन की दृष्टि से भी नितान्त आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य भी है। वैसे भी मानव समाज के सन्तुलित एवं सर्वांगीण विकास में महिलाओं की भागीदारी और योगदान कभी भी कम नहीं रहा है, परन्तु यह एक विडम्बना ही रही है कि समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा शायद ही कभी मिला हो।। हमारे

देश की कुल आबादी का 50 प्रतिशत भाग महिलाओं का है फिर भी उन्हें समाज में वह दर्जा प्राप्त नहीं है जो पुरुषों को है। यह विडम्बना केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के सभी राष्ट्रों की है।

राजनीतिक चेतना के विकास की यात्रा महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता और सक्रियता की गति के साथ समान्तर रूप से जुड़ी हुई है। महिलाओं का राजनीतिक मुद्दों और गतिविधियों के प्रति जागरूकता का बढ़ाना उनके प्रति अपनी संवेदनशीलता को विभिन्न संगठनों निकायों और इकाइयों के माध्यम से सामाजिक पटल पर उजागर करना एवं समस्याओं के निराकरण के लिए राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से आगे आना है। भारत में राजनीतिक चेतना और सामाजिक पुनर्जागरण का विकास साथ-साथ हुआ है। भारतीय नारी जो सदियों से पुरुष प्रधान समाज की ही हुई व्यवस्थाओं समाज की स्थितियों में रहने के कारण पिछले वर्गों में गिनी जाती थी, प्रायः प्रत्येक सुधार आन्दोलन का आधार बनी, उसे विदेशी दासता, पुरुष समाज की दास्ता एवं सामाजिक रूढियों के एक साथ तीन-तीन मोर्चों पर लड़ना पड़ा। इसलिए उसके मुक्ति संघर्ष को सामाजिक व राजनीतिक स्तरों पर अलग-अलग करके नहीं एक साथ ही देखना होगा।

राजनीतिक सहभागिता में मतदान राजनीतिक दलों का समर्थन, विधायकों से सम्पर्क मतदाताओं में राजनीतिक विचारों का प्रचार और अन्य सम्बन्धित गतिविधियों सहित ऐसी स्वैच्छिक गतिविधियां भी शामिल हैं जो राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। ऐसी किसी भी प्रकार की संगठित गतिविधि में शामिल होने को राजनीतिक सहभागिता माना जा सकता है। जो इन सत्ता सम्बन्धों को प्रभावित करती है या प्रभावित करने का प्रयास करती है मोटे तौर पर इससे उन लोगों की गतिविधियों का भी बोध होता है। जिन्हे निर्णय लेने की औपचारिक शक्ति प्राप्त नहीं है। महिलाओं की सहभागिता में विभिन्न मुद्दों पर आन्दोलन विरोध प्रदर्शन और समर्थन के लिए बैठके और शांति को बढ़ावा देने के आन्दोलन भी शामिल हैं राजनीतिक सहभागिता मानव समाज के सदस्यों के जीवन को भी पुनः संगठित करना चाहती है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि महिलाओं की सहभागिता को गैर राजनीतिक कह कर उसका महत्व कम ना किया जाए।

आज के इस चैतन्य युग में जहाँ मानवता शांति का प्रश्रय चाहती है महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एक आवश्यकता बन गई है। राजनीतिक परिवृश्य एवं निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी उनके सबलीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन तो है लेकिन इसके लिए आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का भी निर्माण करना होगा।

लोकतंत्र सही अर्थों में तभी सफल है जब राजनीतिक दलों, सांसदों और सरकारों के स्तर पर राष्ट्रीय निर्णय पुरुष व स्त्रियों द्वारा समान रूप से लिए जाये। आजादी के बाद सत्ता परिवर्तन के साथ ही महिलाओं की राजनीतिक स्थिति में भी प्रतिनिधित्व संख्या के लिहाज से थोड़ा-बहुत बढ़ भी गया हो लेकिन राजनीति में उनकी कुल और प्रभावी मौजूदगी भी गया हो लेकिन राजनीति में उनकी कुल और प्रभावी मौजूदगी कम हो गयी। अगर हम गाँधी युगीन सरोजनी नायदू, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, डॉ सुशीला नायर आदि की तुलना आज की मायावती, शीला दीक्षित, रावडी देवी, जयललिता आदि से करें तो महिला राजनीतिज्ञों के प्रभाव तथा उनके महत्व में लगातार गिरावट को साफ समझा ला सकता है।

निष्कर्ष:

अतः स्पष्ट है कि महिलाओं को राजनीतिक जीवन का पूर्णत ज्ञान और अनुभव तब ही होगा जब उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जायेगा। क्योंकि जब भी उन्हें अवसर दिया गया है तब उन्होंने अवसर मिलने पर अपनी दक्षता का परिचय दिया है और समाज में अपनी भूमिका का पूर्ण वृद्धता के साथ निर्वाह किया है। लेकिन भारतीय समाज ने ही महिलाओं के हितों को

अनदेखा किया है। जिसके कारण से आज भी कई समस्याओं का सामना कर रही है तथा महिलाओं को उनके महिलाओं को यथोचित स्थान दिया जाए। शासन (सरकार) के सभी अंगों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएं क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संसद के द्वारा ही नियम कानून बनाने का अधिकार होता है और वही से न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए नीतियों का निर्धारण किया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि संसद में महिलाओं का न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आधुनिक सामाजिक व्यवस्था और उसमें महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए जरूरी है कि संसद में महिलाओं प्रतिनिधित्व बढ़ाना बहुत मुश्किल है क्योंकि पिछले 70 सालों से अधिक समय तक उनके प्रतिनिधित्व बहुत कम है इसलिए राजनीति में महिलाओं की सक्रियता ही महिला उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। ये प्रयास महिला उत्थान के लिए ये प्रयास मात्र कानून बना देने से ही सफल नहीं हो सकते इन्हे सफल बनाने के लिए गम्भीर प्रयास करने की आवश्यकता है अतः महिलाओं को भी स्वयं जागरूक एवं एकजुट होने से अपने अधिकारों की प्राप्ति होगी। अतः महिलाओं को दृढ़ संकल्प के साथ समस्याओं का हल निकालना होगा।

संदर्भ:

1. गुप्ता नीलम, “भारत में महिलाओं के राजनीतिक अधिकार एवं नेतृत्व के आयाम“ पृष्ठ-157।
2. राजस्थान पत्रिका, 8 मार्च-2016।
3. चतुर्वेदी, इनाक्षी एवं अग्रवाल, सीमा “महिला नेतृत्व एवं राजनीतिक सहभागिता“, अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर 2013, पृ0-15।
4. अग्रवाल, चन्द्रमोहन (2003) “भारतीय नारी: विविध आयाम“ इंडियन पब्लिशर्स डिस्ट्री ब्यूटर्स, दिल्ली पृष्ठ संख्या- 208।
5. लवानिया, एम0एम0 (2012), “भारतीय महिलाओं का समाज शास्त्र“, रिसर्च पब्लिकेंसन, जयपुर, पृष्ठ सं0-3।
6. लवानिया पूर्वोक्त, पृ0 सं0-04।
7. अग्रवाल, चन्द्र मोहन, पूर्वोक्त
8. सिंह राजवाला, सिंह मधुबाला, “भारत में महिलाएं“, अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2006 पृ0सं0- 1-04
9. लबानिया एम0एम0 “भारतीयमहिलाओं का समाज शास्त्र“, रिसर्च पब्लिकेंसन, जयपुर, 2005 पृष्ठ सं0-143।
10. आर0 पी0 तिवारी व डी0 पी0 शुक्ला 1999 पृ0 सं0-1-12
11. सिंह आनन्द प्रकाश, “भारत में महिला सशक्तीकरण: नीति एवं नियोजन“ पृ0 सं0-09।
12. राजजादा डॉ अजीत, “महिला उत्पीड़न, समस्या और समाधान“, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बानगंगा।

13. लता डाठो मंजू, पूर्व उध्दत, पृ० सं० -144।
14. छोरा आशारानी, “भारतीय नारीःदशा और दिशा“, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1983, पृ० सं०- 11।
15. रस्तोंगी दया प्रकाश, जैन रीनू, “भारतीय इतिहास में नारी साधना“ प्रकाशन रस्तोंगी स्ट्रीट, सुभाष बाजार मेरठ, 2005 पृ० सं० - 55।
16. बारबरा नैलसन एण्ड नजमा चैधरी, “वूमैन एण्ड पालिटिक्स“, पृ० सं०-14।
17. अंसारी, एम० ए० “राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी“, ज्योति प्रकाशन, जयपुर 2002, पृ० सं०-157।